

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>रामप्रकाश बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार भोपालगढ)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 166/2018</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>09.01.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामप्रकाश प्रजापत पुत्र सुगनाराम, पता मां श्रीयादे ऑपन चेम्बर, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 05.11.18 में उसके द्वारा (1) तहसील मुख्यालय भोपालगढ पर ग्राम सुरपुरा खुर्द के खेत खसरा संख्या 474 की एक साला खरीफ फसल की काश्त हेतु वर्ष 2018 में किस तारीख को नीलामी कार्यवाही की गई। उक्त नीलामी कार्यवाही की अंतिम बोली किसके द्वारा लगाई गई और उसके द्वारा अंति बोली के दिन कितने प्रतिशत राशि जमा करवाई व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 671 दिनांक 31.12.2018 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/रीडर/2018/626 दिनांक 15.11.18 द्वारा आवेदक के पते पर डाक से भिजवाई गई है अतः अपील निरस्त की जाय। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) द्वारा अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	